बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

आदेश

पटना, दिनांक .....

संख्या–8 / आ०5–20 / 2026..... / श्रीमती निर्मला कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सरायरंजन, समस्तीपुर के विरूद्ध जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक 303 दिनांक 19.08.2026 द्वारा आरोप पत्र गठित कर साक्ष्य सहित उपलब्ध कराया गया। श्रीमती कुमारी के विरूद्ध शिक्षकों के विभिन्न प्रकार के अवकाश एवं सेवा संबंधी आवेदन तथा अंतर वेतन / बकाया वेतन को ससमय जिला कार्यालय को अग्रसारण नहीं करने, प्रखण्ड के अनेक शिक्षकों का वेतन निर्धारण नहीं करने, कार्यालय में कर्मियों के बीच कार्यों का बँटवारा नहीं करने जैसे गंभीर आरोप प्रतिवेदित है।

उक्त प्रतिवेदित आरोप एवं संलग्न साक्ष्यों को संलग्न करते हुए निदेशालय के पत्रांक 1067 दिनांक 17.09.2026 द्वारा श्रीमती कुमारी से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 17 (4) में निहित प्रावधान के तहत एक पक्ष के अंदर लिखित बचाव अभिकथन की माँग की गई, जो अद्यतन अप्राप्त है। प्राप्त आरोप पत्र एवं संलग्न साक्ष्यों के समीक्षोपरांत स्पष्ट होता है कि श्रीमती निर्मला कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सरायरंजन, समस्तीपुर के द्वारा अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं किया गया है, जो सरकारी आदेश का उल्लंघन है। अतः श्रीमती कुमारी द्वारा अपने कर्तव्य का समुचित निर्वहन नहीं किए जाने के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 9(1) के तहत श्रीमती निर्मला कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्रीमती निर्मला कुमारी का मुख्यालय – कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), मुजफ्फरपुर द्वारा स्थापना मद से किया जाएगा।

ह०/–
(कुमार निशांत विवेक)
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांकः–8 / आ०5–20 / 2026..... 1121 / पटना, 12/10/26

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा एवं तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं मुजफ्फरपुर / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्था०), समस्तीपुर एवं मुजफ्फरपुर / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार पदाधिकारी / श्रीमती निर्मला कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सरायरंजन, समस्तीपुर / आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)